

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झाडोल जिला उदयपुर (राज.)

गारासीन अधिकारी:- श्री कपिल कुमार कोठारी, आर.ए.एस.
करण संख्या:-55/2024

तारीख दायर:-20.06.2024
तारीख निर्णय:-01.05.2025

1. श्री नानीया पिता लखमा गरासिया निवासी सुरीमाला तहसील झाडोल।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री उदयलाल पिता लखमा गरासिया निवासी सुरीमाला तहसील झाडोल।
2. श्री नारायण पिता लखमा गरासिया निवासी सुरीमाला तहसील झाडोल।
3. श्री बसुलाल पिता लखमा गरासिया निवासी सुरीमाला तहसील झाडोल।
4. श्री प्रकाश पिता कमलाशंकर गरासिया निवासी सुरीमाला तहसील झाडोल।
5. श्री रामाशंकर पिता कमलाशंकर गरासिया निवासी सुरीमाला तहसील झाडोल।
6. श्री छगनलाल पिता देवा गरासिया निवासी कांचरिया/बोबरावाडा तहसील झाडोल।
7. श्री शंकर पिता देवा गरासिया निवासी सुरीमाला तहसील झाडोल।
8. श्री कुबेरसिंह पिता समरथसिंह राजपुत निवासी सुरीमाला तहसील झाडोल।
9. श्री खुमाणसिंह पिता समरथसिंह राजपुत निवासी सुरीमाला तहसील झाडोल।
10. श्री नाहरसिंह पिता समरथसिंह राजपुत निवासी सुरीमाला तहसील झाडोल।
11. श्री मन्नेसिंह पिता समरथसिंह राजपुत निवासी सुरीमाला तहसील झाडोल।
12. श्री मोतीसिंह पिता समरथसिंह राजपुत निवासी सुरीमाला तहसील झाडोल।

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लेण्ड रे. एक्ट.

उपस्थित- प्रार्थीगण की ओर से- श्री प्रवीण कुमार मेहता

अप्रार्थी की ओर से- एक तरफा

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा सुरीमाला पटवार क्षेत्र आंजरोलीखास तहसील फलासिया की जमाबन्दी संवत 2077 से 2080 के खाता संख्या 26 में वर्णित आराजियात किता 14 कुल रकबा 0.8100 है0 भूमि स्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी के पास विपक्षी की खातेदारी की आराजी भूमि स्थित है। विपक्षी आये दिन प्रार्थी को परेशान करते रहते हैं तथा भूमि में जबरन प्रवेश कर दखलंदाजी करते हैं व घास लकड़ी इत्यादि को ले जाते हैं। प्रार्थी व विपक्षी की भूमि आस पास होने से आये दिन पाली डोली को लेकर सीमांकन बाबत विवाद होता रहता है। विपक्षी आये दिन दिन प्रार्थीगण के साथ लडाईं झगडा करते रहते हैं। भविष्य में सीमा को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो इसलिये प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी करवाना नितान्त आवश्यक हो गया है। अतः निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की मौजा सुरीमाला पटवार क्षेत्र आंजरोलीखास तहसील फलासिया की जमाबन्दी संवत 2077 से 2080 के खाता संख्या 26 में वर्णित आराजियात किता 14 कुल रकबा 0.8100 है0 भूमि का सीमांकन करवाया जाकर मौके पर पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

उपखण्ड अधिकारी



प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन मय प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तत्पश्चात प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की एक बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने प्रार्थना पत्र में किये गये है।

हमने विद्वान प्रार्थी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी खातेदार शतकार है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि के पास विपक्षी की भूमि स्थित होने आये दिन सीमा का विवाद होता रहता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना सम्मन तामील के अनुपस्थित रहे है, जिससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण को भी पत्थरगढी करने में कोई आपत्ती नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पर साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा सुरीमाला पटवार क्षेत्र आंजरोलीखास तहसील फलासिया की जमाबन्दी वत 2077 से 2080 के खाता संख्या 26 में वर्णित आराजियात किता 14 कुल रकबा 0.8100 है0 मि की मौके पर कब्जे सम्बन्धी विवाद नहीं होने की स्थिति में दोनो पक्षकारानों की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार फलासिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर को 2000/- रुपये प्रार्थी पक्ष अदा करेगा। पालना हेतु तहसीलदार फलासिया को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कपिल कुमार कोठारी)
उपस्थित अधिकारी
कोठारी, जिला उदयपुर